न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 134 / प्रा.पत्र / 2022

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री नूतन कुमार जैन पुत्र श्री सोहन लाल जिैन निवासी महलो वाली गली गेण्डोली खुर्द तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी।
2. मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड गेण्डोली खुर्द तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी।
3. श्री प्रभूलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स दुर्गा किराणा स्टोर बैंक ऑफ बडौदा के पास खटकड जिला बून्दी।
4. मैसर्स दुर्गा किराणा स्टोर बैंक ऑफ बडौदा के पास खटकड जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52
एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी की ओर से :– विद्वान अभिभाषक प्रहलाद वर्मा

निर्णय

दिनांकः 19.02.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री गिरिराज शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 08.02.2022 को समय दोपहर 04:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड गेण्डोली खुर्द तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी पर पहुँचा। वहां पर श्री नूतन कुमार जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन, विक्रेता की हैसियत से उपस्थित मिला। जिसे अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

दिखाया एवं पूछने पर प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वक्त निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे गुड, तेल, घी, शक्कर व मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 40 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 ग्राम पैक **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड)** रखा हुआ था। इस **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री नूतन कुमार जैन आ0 श्री सोहन लाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। दुकान की रैक में लगभग 40 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 ग्राम पैक में से **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड)** के 3 एवं पैकिग की दिनांक 08.01.2022 थी,को ज्यो का त्यो पैकड अवस्था में 500–500 ग्राम पैक वास्ते नमूना जॉच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता को 80/–रू (अक्षरे–अस्सी रूपये मात्र) नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करावाये। खरीदशुदा **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड)** के 4 मूल पैक जयों का त्यों एक–एक नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर ,नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. यू–1816 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं एफ.बी.ओ. तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **यू–1816** नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहो एवं मैने भी चारो नमूना भागो पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहो ने हस्ताक्षर किये एवं मैने भी हस्ताक्षर किये। श्री नूतन कुमार जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड गेण्डोली खुर्द तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत् खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र कंमाक/एफएसएस/2022/231 दिनांक 30. 02.2022 प्रषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी नें बतौर वारन्टी **मैसर्स दुर्गा किराण स्टोर बैंक ऑफ बडौदा के पास खटकड** का बिल कंमाक/इन्वॉइस न0 3292 दिनांक 03.02.2022 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी के पत्रांक एफएसएसए/2022/168 दिनांक 31.03.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला द्वारा कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या **339/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2022/340 दिनांक 07.03.2022** के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड), मिथ्याछाप** स्तर का खाद्य पदार्थ होना पाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

इस प्रकार अभियुक्त द्वारा **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड, का विक्रय कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक ने अपने जवाब में अवगत कराया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त सूजी के पेकिट श्री महालक्ष्मी फलोर मील जयपुर से क्रय किये गये थे। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। क्योंकि श्री महालक्ष्मी फलोर मील जयपुर द्वारा पेक खरीद किये गये थे, किन्तु कम्पनी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं।

खाद्यय सुरक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेज निम्न है:—

क्र. स.	दस्तावेज विवरण	दिनांक
1.	अभिहित अधिकारी बून्दी को प्रेषित पत्र	
2.	पदस्थापन आदेश	16.08.2022
3.	गजट नोटिफिकेशन	05.04.2021
4.	पदस्थापन आदेश	26.07.2011
5.	कार्य क्षेत्र आवंटन गजट नोटिफिकेशन	10.08.2011
6.	रसीद माल की खरीद	11.04.2012
7.	फार्म न 5ए असल	08.02.2022
8.	फर्द रिर्पोट असल	08.02.2022
9.	मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड गेण्डोली खुर्द तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी के खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र की छायाप्रति।	08.02.2022 09.10.2022
10.	खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नयापुरा कोटा से नमूना जमा प्राप्ति व फार्म न06 की द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद।	09.02.2022
11.	अभिहीत अधिकारी द्वारा नमुना के तीन भाग (ii), (iii) एवं (iv) की प्राप्त रसीद	09.02.2022
12.	अभिहीत अधिकारी बून्दी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच रिर्पोट प्रेषित पत्र।	31.03.2022
13.	खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नयापुरा कोटा की खाद्य नमूना जांच रिर्पोट।	07.03.2022
14.	श्री नूतन कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर गेण्डोली खुर्द को वरन्टी बिल उपलब्ध कराने बाबत् प्रेषित पत्र	29.04.2022
15.	श्री नूतन कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर गेण्डोली खुर्द को वरन्टी बिल	01.05.2022
16.	मैसर्स दुर्गा किराणा स्टोर खटकड तहसील केशवरायपाटन का वारन्टी बिल	03.02.2022
17.	प्रबंधक मैसर्स दुर्गा किराणा स्टोर खटकड तहसील के0पाटन जिला बून्दी	08.06.2022

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं

	को फार्म न0 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् प्रेषित पत्र	
18.	प्रबंधक मैसर्स वदुर्गा किराणा स्टोर खटकड द्वारा अपनी फर्म से सम्बन्धित प्रेषित पत्र	
19.	श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी बून्दी को प्रेषित पत्र	14.07.2022
20.	अभियोजन स्वीकृति	17.08.2022

हमने पत्रावली में प्रस्तुत / उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1816 की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला द्वारा कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या **339 / एफएसएसएल / कोटा / एक्ट / 2022 / 340 दिनांक 07.03.2022** के अनुसार निम्न है:–

The sample to be 'Cereals and Cereal Products" falling under Regulation No. 2.4.3.1 SUJI of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition for analysis and has been analysed on 03-03-2022 to 07-03-2022 and the result of its analysis in given below.

Analysis Report :-
Batch No./Lot No.:- Not Visible Clearly
Date of Mfg./Pkg :- Not visible Clearly

Contravention to Regulations No. 2.2.2(8), 2.2.2(9), 2.2.2(10), of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.
{A contravention to Regulations No. 2.2.2(8), 2.2.2(9), and 2.2.2(10) of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 would mean that a food product's label is missing crucial information like the batch number, manufacturing date, or expiry date respectively, which are mandatory under these regulations, potentially misleading consumers about the product's origin and shelf life.}

Opinion: The sample of **"Suji(Shri Paavan)"** bearing Code No. and Sr. No. U-1816 of Designated Officer cum the Chief Medical Officer, Bundi, is **Misbranded Food under Section 3(1)(zf)(C)(i)** of Food Safety and Substandard Act, 2006.
{**Section 3(1)(zf)(C)(i)**:- Contains any artificial flavouring, colouring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labeled in accordance with the requirements of this Act or regulations made thereunder or is in contravention thereof.}

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड), मिथ्याछाप** स्तर का पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड), मिथ्याछाप** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है।

हालांकि उक्त प्रकरण में प्रचलित विधिक प्रावधान निम्न प्रकार है :-

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के उल्लंघन की दशा में **मिथ्याछाप** (misbranded) में अधिकतम तीन लाख रूपये सीमा तक जुर्माना/दण्ड/शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है, तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थीगण को **सूजी (श्री पावन ब्राण्ड), मिथ्याछाप स्तर** (misbranded) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को क्रमशः 10,000रू:10,000रू:10,000रू:10,000रू कुल जुर्माना राशि 40,000 रूपये (चालीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये डी. डी. या सम्बन्धित मद (0210-04-800-03-00) में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी बून्दी (राज.)

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी